

6/08/22

पत्रावली पेश हुई कनील अर्थाँ अनुवा मुक्ति मूल अपील को अदम पेशी / अदम सजरी में खारिज कर दी गई है अतः इस आवेदन को आगे चलाने का कोई मौनिलम नहीं है इस आवेदन की अथवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी स्वयंन भेदेरा दिनांक 22/05/18 को खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल कुमार लेकर दारिखल दफ्तर को मूल अपील के जलखन हो।



Blas